392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

कार्रवाई चल रही है। नालंदा एवं खगड़िया ग्रोथ सेन्टर के भू-अर्जन के विरूद्ध कुछ भू-स्वामियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया गया एवं स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। इससे कुछ बाधा उत्पन्न हो गयी है। आई. डी. बी. आई. से ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसके अलावा भारत सरकार से भी 150 लाख रुपये अनुदान की स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री मिश्र को विरमित करना

202. श्री मो. मुश्ताक :

1. क्या यह बात सही है कि श्री राम तपेश्वर मिश्र, उप समाहर्ता, समाहरणालय मधुबनी दस वर्षों से जिला नजारत के प्रभारी हैं,

श्री भागवत झा आजाद :

1. वस्तुस्थिति यह है कि श्री राम तपेश्वर मिश्र, उप समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर दिनांक 9.5.1981 से पदस्थापित है। श्री मिश्र पिछले 10 वर्षों से जिला नजारत के प्रभारी हैं कि नहीं, इसकी सूचना समाहर्ता से प्राप्त की जा रही है।

2. क्या यह बात सही है कि सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार श्री मिश्र का स्थानान्तरण मधुबनी से हुआ है, पर मधुबनी समाहरणालय से विरमित् नहीं हुए,	2. श्री मिश्र का स्थानान्तरण कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–1494 दि.11.2.88 द्वारा मुगेंर जिला मुख्यालय में किया गया है। इन्हें विरमित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा विरमित हुए या नहीं इसकी भी सूचना प्राप्त की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री मिश्र को विरमित करा कर आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई करना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. उपर्युक्त प्रश्नोत्तर खंड में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

सेवा की सम्पुष्टि

204. श्री अभयकान्त प्र० :	श्री रामानन्द यादव :
क्या मंत्री उद्योग विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :	
क्या यह बात सही है कि श्री यू. के. सिन्हा केमिकल इंजिनियर लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चुनकर अक्तूबर 1984 में प्रबंध निदेशक केमिकल कारपोरेशन नियुक्ति हुये और	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है वस्तुस्थिति यह है कि इनका चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर ही हुआ है परन्तु पद को विज्ञापित किया गया था और लोक उद्यम ब्यूरों के द्वारा चयन एवं